न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–71/2024 निर्णय दिनांक :– 13/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

कमला देवी पत्नी नन्दलाल खटीक आयु लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री गौरधन चन्देल **तहसीलदार दूनी**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 385 खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1605 रकबा 0.20 है0, खाता संख्या 383 खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.38 है, खाता संख्या 384 खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1579 रकबा 0.71 है0 व खाता संख्या 386 खसरा नम्बर 1602 रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात है जिस पर प्रार्थिया बिना किसी बाधा के काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थिया की भूमि से अन्य किसी का काई सम्बंध या सरोकार नही है। उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही हो रखी है। पडोसी खातेदारी भूमि को भी सिवायचक भूमि मानकर प्रार्थिया की खातेदारी भूमि का सिवायचक भूमि में मिलाने पर आमादा रहत है, जिसके कारण वह लोग मौके

र्थिया व प्रार्थिया के परिवारजन से विवाद करते है तथा लडाई झगडे करने पर आमादा रहते है। जिससे मौके शांति भंग होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। इस कारण न्यायहित में उक्त भूमि की मौके पर नाप चौक करवायी जाकर पत्थरगढी करवाया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में खाता संख्या 385 खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1605 रकबा 0.20 है0, खाता संख्या 383 खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.38 है, खाता संख्या 384 खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1573 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 1579 रकबा 0.71 है0 व खाता संख्या 386 खसरा नम्बर 1602 रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम नयागांव गोठडा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी

...ज़ा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली